निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 147/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. मोहन लाल पुत्र रामपाल मीना
2. कैलाश पुत्र रामपाल मीना
3. दिनेश पुत्र रामपाल मीना
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामपाल मीना

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शिव चरण शर्मा आर ए एस पीठासीन सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर।
2. छीतर पुत्र ग्यारसा मीना निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 24/2018 ब उनवानी छीतर बनाम मोहन लाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः-

1. श्री कालूराम मीना अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 06.01.2022

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 24/2018 ब उनवानी छीतर बनाम मोहन लाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन शर्मा उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया छीतर ने अपने नाम हो रखे गलत राजस्व इन्द्राज का फायदा उठाने के उद्देश्य से प्रार्थीगण की भूमि को हडपने के लिए सहायक जिलाधीश बस्सी के न्यायालय में एक वाद

जिला कलक्टर
जयपुर

पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा नम्बर 24/2018 ब उनवानी छीतर बनाम मोहन लाल बिना कब्जा काश्त बिना हक अधिकार के पेश किया है। अप्रार्थी/वादी बहुत ही चालाक व शातिर किस्म का आदमी है। दिनांक 28.09.2021 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण न्यायालय परिसर में आये तो उन्होंने देखा कि अप्रार्थी छीतर बिना तारीख पेशी के ही न्यायालय हाजा के रीडर से बाचीत कर रहा है एवं बातचीत में रीडर कह रहा है कि आप चिन्ता ना करें। आपका काम हो जावेगा। आपका दावा कैम्प में डिक्री हो जावेगा। आप हमारा ध्यान रखना। कुछ ही समय बाद छीतर मुस्कराता हुआ बाहर आकर अपने अधिवक्ता व अन्य आदमी से कहता है कि मेरी बात हो गई है अपना काम केम्प में हो जावेगा । दिनांक 01.10.2021 को पुनः छीतर को न्यायालय परिसर में देखा गया व पीठासीन अधिकारी के कक्ष में जाते हुए व मुस्करा कर बाहर आते हुए देखा गया व साथ ही अपने साथ आये व्यक्ति से यह कहता हुआ सुना गया कि मेरी साहब से बात हो गई है, अपना दावा कैम्प मे डिक्री हो जावेगा। इसके बाद दिनांक 10.02.20212 को सायं के समय मौके पर घर पर यह बात एलानियां रूपसे कही कि मेरी साहब से बात हो गई है मै, गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर कैम्प में दावा डिक्री करवा कर आपको जबरन बेदखल करके रहूंगा । उक्त घटनाओं से प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को यह गम्भीर आशंका उत्पन्न हो गई है कि उनके साथ इन परिस्थियों में न्याय नहीं हो सकेगा एवं प्रार्थीगण/प्रतिवादीगणों के साथ कैम्प मे गलत राजस्व इन्द्राज के आधार पर अन्याय होने की पूरी पूरी सम्भावना है। प्रर्थीगण को इन परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। न्याय की मंशा है कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत होना भी आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण ने पूर्व में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीपाली भागोतिया एवं नीरज कुमार मीणा के विरूद्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किये गये थे जो उनके अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने पर प्रभाव शून्य होकर खारिज हो चुके है। अब नये पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। प्रार्थीगण मूल प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से बार-बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है । इसलिये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्राथीगण ने सहायक कलक्टर बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्री शिव चरण शर्मा से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उभय पक्षको सुनने पर यह पाया है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीपाली भागोतिया के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रकरण संख्या

जिला कलक्टर
जयपुर

95/2018 दर्ज हो कर दिनांक 06.08.2018 को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से प्रभाव शून्य होकर खारिज हो चुका है। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा पुनः पीठासीन अधिकारी श्री नीरज कुमार मीणा के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रकरण संख्या 17/2021 को दर्ज हो कर दिनांक 16.02.2021 को पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से प्रभाव शून्य होकर खारिज हो चुका है। अब नये पीठासीन अधिकारी श्री शिव चरण शर्मा के विरूद्व भी यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी मूल प्रकरण का निस्तारण नही चाहते है और विलम्ब किये जाने नियत से बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। जो न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

6/1/22

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर जिला, जयपुर